न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर

पीठासीन अधिकारी — राधेश्याम मीणा (RAS)

प्रकरण सं० — 44/22 — दायर दिनांक 20.10.22

RCMS NO — 2022/313

मूली उर्फ मामती पत्नी प्रेमराज जाति मीना निवासी ग्राम औंड मीना तहसील महवा जिला दौसा (राज०) ——— प्रार्थिया

<u>बनाम</u>

राज० सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर ——— अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA
अधिवक्ता श्री मनोज दत्त पाण्डेय - प्रार्थिया
" पैरोकार सरकार - अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 10-10-25

प्रार्थिया वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ०ख०नं० 518, 519 जिनके नये खसरा नम्बर 505, 506 वाके ग्राम माईदपुर तहसील भुसावर में स्थित है। जिसमे से सेटलमेन्ट विभाग द्वारा 519 जिसका नया ख०नं० 506 बनाया गया है जो कि मौके से बिल्कुल विपरीत है तथा पुराने ख०नं० 519 से नक्शा ट्रेस से बिल्कुल भिन्न हैं तथा उनके द्वारा ख०नं० 506 के मध्य गलत तरीके से नक्शे में मध्य गलत लाइन का चित्रण किया गया है जबकि उक्त ख०नं० के पुराने नक्शा ट्रेस में लाइन का चित्रण नहीं है लेकिन दोनो पुराने व नये खसरा संख्याओं के मध्य ट्रेस अलग-अलग दर्शाये गए हैं।

प्रार्थिया द्वारा निवेदन किया गया है कि ख०नं० 506 के नक्शा ट्रेस के मध्य गलत लाइन को हटाकर पुराने नक्शा ट्रेस जैसा नक्शा ट्रेस शुद्ध किया जावे।

हमने प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया दर्ज रजिस्टर कर ~~अप्रार्थी~~ अप्रार्थी को तलबी जरिये रजि० डाक से की गई नोटिस की तामील मे अप्रार्थी तहसीलदार भुसावर द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया है कि ख०नं० 506 के मध्य लाइन को हटाकर शुद्ध किया जाना उचित है।

हमने बहस अधिवक्ता को सुना व उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं रिपोर्ट तहसीलदार भुसावर का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है। तथा तहसीलदार भुसावर को निर्देशित किया जाता है कि आ०ख०नं० 506 वाके ग्राम माईदपुर के नक्शा ट्रेस के मध्य दर्शाई गई गलत लाइन को हटाकर पुराने ख०नं० 519 के नक्शा ट्रेस की भांति शुद्ध किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)